निर्गत 21(बी)
11/10/17

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

ज्ञाप सं0 : — 9/निधि—(0101—पुल प्रक्षेत्र)—02—03/2017—आर0ओ0ए0 90(S) पटना, दिनांक — 11/10/17

सेवा में,

अवर सचिव (ले0/मु0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषयः मॉग सं0—41 के मुख्य शीर्ष—5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—03—राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष— 101— सेतु, उपशीर्ष— 0101— पुल, विपत्र कोड—41—5054031010101, विषय शीर्ष— 0101.53.01— मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेशः चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0—2 में अंकित संबंधित कार्यालय से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं0— 4 में अंकित राशि के अनुसार कुल **₹2,00,00,00,000/— (दो अरब रूपये)** मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। इस आवंटन सहित संबंधित कार्यालय को संलग्न विवरणी के अनुसार वर्ष 2017—18 में कुल आवंटित राशि स्तम्भ सं0—5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय—व्यय 2017—18 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।

3. यह व्यय मांग संख्या— 41 के मुख्य शीर्ष—5054— सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष—03—राज्य राजमार्ग, लघुशीर्ष—101—सेतु, उप शीर्ष—0101—पुल, विपत्र कोड—41—5054031010101, विषय शीर्ष— 0101.53.01— मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017—18 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।

4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0— 2561/वि॰(2) दिनांक— 17.04.1998 पत्रांक— 428/वि॰, दिनांक— 31.03.2017 एवं पत्रांक— 3002/वि॰ दिनांक—26.04.2017 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरूद्ध वित्त विभाग के पत्रांक—एम0—4—53/2007—3758 दिनांक—31.05.17 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।

6. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।

7. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगें। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।

8. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों के मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं0— 6191 (एस) दिनांक— 08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।

9. वित्तीय वर्ष 2014—15 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निगम के पी॰एल॰ खाता संख्या—242 से राज्य सरकार के खाते में 2,00,00,00,000/— (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017—18 में हस्तांतरित राशि को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को वापस लौटाने हेतु प्रथम अनुपूरक से 2,00,00,00,000/— (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र का अतिरिक्त उपबंध प्राप्त किया गया। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को विषयगत आवंटन के माध्यम से राज्य सरकार को हस्तांतरित राशि 2,00,00,00,000/— (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र वापस की जा रही है।

10. संलग्न आवंटन विवरणी के क्रम सं0–1 के लिए आवंटित राशि की निकासी अवर सचिव (ले0/मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी, जो सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से राशि की निकासी कर बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से पटना कोषागार, पटना स्थित पी॰एल॰ खाता संख्या–242, विपत्र कोड– K8448001200018 में जमा करने हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे जिसे प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड चालान द्वारा पी॰एल॰ खाता में जमा करेंगे।

11. चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यार्पण **दिनांक– 28.02.2018** तक अवश्य कर दिया जाय।

12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

(सुब्रत सरकार) 10/10/17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 10/10/17
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं0 : – 9/निधि–(0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–03/2017–आर0ओ0ए0 90 (S) we A पटना, दिनांक – 11/10/17

प्रतिलिपि – अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी / प्रधान सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र0को0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित)–सह–योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ आई॰टी॰ मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–9 (पॉंच प्रति) एवं अधीक्षण अभियंता (अनु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को (फैक्स एवं ई–मेल हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुब्रत सरकार) 10/10/17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 10/10/17
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

आवंटन विवरणी

ज्ञाप सं0 : – 9/निधि–(0101–पुल प्रक्षेत्र)–02–03/2017–आर0ओ0ए0 90 (S) we A पटना, दिनांक – 11/10/17

(राशि रूपये में)

क्रम सं0	प्रमंडल / कार्यालय का नाम	पूर्व आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	अवर सचिव (ले0 / मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के लिए।	100,00,00,000	200,00,00,000	300,00,00,000	BRPNNL- 3261 / 22.09.17
	कुल योग	**100,00,00,000**	**200,00,00,000**	**300,00,00,000**	
	वर्त्तमान आवंटन (शब्दों में) दो अरब रूपये मात्र।				

9/10/17

(सुब्रत सरकार) 10/10/17
विशेष पदाधिकारी (या0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर) 10/10/17
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(सुजीत कुमार) सहायक | (नेमानी दास) प्र0पदा0 | (दीपेश कुमार) स0अभि0 (अ0र0) | (आलोक कुमार) वि0पदा0(या0) के त0स0

10/5/2017

D:\2017-18 Worked by ALOK\ALLOTMENT - 2017-18\1- Plan - 5054 (2017-18)\5 - POOL (2017-18) - St-5 (2017-18)